राजस्व मंडल

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

श्री संदीप दुबे अधि० होशंगाबाद द्वारा 17-1-14 को 3 PM पर प्रस्तुत। 17-1-14

विनोद कुमार भार्गव आ० श्री आर.पी. भार्गव

निवासी तवा कालोनी पिपरिया तहसील

पिपरिया जिला होशंगाबाद ------- अपीलार्थी

बनाम

R-518-PBR/14

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद पिपरिया

2. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पिपरिया

3. प्रभारी सदस्य शिक्षा समिति

श्री पियूष कोठारी नगर पालिका परिषद

पिपरिया

4. श्री विनय मोहन शर्मा आ०श्री एस.के.शर्मा

बनर्जी कालोनी पिपरिया जिला होशंगाबाद----उत्तरवादीगण

आयुक्त कार्या. नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद से भोपाल कैम्प पर प्राप्त GM 30-1-14

अपील अंतर्गत धारा 35(4) म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959

- -

अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा रा.प्र.क्र.3/विविध/12-13 मे पारित आदेश दिनांक 5.12.2013 के विरुद्ध यह अपील श्रीमान इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 518–पीबीआर/2014 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–4–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–12–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील दिनांक 16–11–2007 को अदम पैरवी में निरस्त हुई है और आवेदक की ओर से पुर्नस्थापन आवेदन पत्र 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है, जबकि पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस की समय सीमा निर्धारित है । लगभग 5 वर्ष तक आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं करना घोर लापरवाही का द्योतक है । अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	